अमर उजाला रुद्रपुर-काशीपुर amarujala.com

तीन विभागों ने जांच में नकारे अवैध खनन के आरोप

गदरपुर के विधायक अरविंद पांडेय ने नदी तल क्षेत्र दो किलोमीटर तक चौड़ा होने का किया था दावा

अमर उजाला ब्यूरो

रुद्रपुर। गदरपुर विधायक अरविंद पांडेय की ओर से अवैध खनन से नदी की चौड़ाई दो किलोमीटर तक होने के दावे के बाद भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की जांच रिपोर्ट सामने आई है।

रिपोर्ट में विधायक के आरोपों को खारिज किया गया है। इधर, रिपोर्ट आने के बाद विधायक अपने दावे पर कायम हैं। विधायक पांडेय का कुछ दिन पहले गदरपुर और बाजपुर क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सोशल मीडिया पर बयान सुर्खियों में आया था।

विधायक ने कहा था कि 200 मीटर चौड़ी छोटी सी नदी को दो किलोमीटर चौड़ा कर दिया गया है। 300 एकड़ जमीन को खोदकर 60 फीट गड्ढे किए गए हैं। अगर वे सबूत नहीं दे पाए तो उत्तराखंड की जनता के सामने कभी चुनाव लड़ने नहीं आएंगे।

जिन गांव के लोगों ने अफसरों को लिखित में शिकायत की हैं, उनके खिलाफ जुर्माना ठोका गया है। इस बयान के बाद सियासी गर्मी बढ़ गई थी। 30 अगस्त को राजस्व, चकबंदी और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने ग्राम रत्नामढ्या, केलाखेड़ा और बाजपुर के बौर नदी, गडरी नदी तल क्षेत्र का निरीक्षण किया।

खान अधिकारी मनीष कुमार ने निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बौर नदी तल में कहीं पर भी जल का प्रवाह 30 से 40 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं हो रहा है।

निरीक्षण के दौरान मौके पर कहीं भी 50 से 60 फीट गहरे गढ्ढे नहीं पाए गए। कहीं पर अवैध खनन होता नहीं पाया गया। यह भी कहा गया कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए राजस्व एवं खनन विभाग की टीम समय-समय पर कार्रवाई करती है।

जांच रिपोर्ट में अवैध खनन पर कार्रवाई का भी दिया ब्योरा

रुद्रपुर। जांच रिपोर्ट में पूर्व में अवैध खनन पर की गई कार्रवाई का जिक्र किया गया है। इसमें अवैध खनन पर छह मई को चकबंदी लेखपाल बाजपुर एवं राजस्व उप निरीक्षक बाजपुर की ओर से केलाखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात की गई है। तीन जुलाई को गदरपुर में अवैध खनन में लिप्त बिना नंबर प्लेट के डंपर को रोकने और विभागीय सहायक खनिज पर्यवेक्षक पर हमला करने की कोशिश की गई थी। इसमें अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। छह मई को अवैध खनन की शिकायत पर ग्राम खुशालपुर में दो लोगों पर तीन करोड़ 24 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा राजस्व एवं खनन विभाग की ओर से उक्त क्षेत्र में 29 डंपर, जेसीबी को सीज किया है। ब्यूरो

सोशल मीडिया पर चल रहा आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला

रुद्रपुर। विधायक अरविंद पांडेय की ओर से अवैध खनन पर मोर्चा खोलने के बाद उसका जवाब तीन विभागों की संयुक्त निरीक्षण के बाद तैयार जांच रिपोर्ट सामने आ गया है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी वार-पलटवार चल रहा है। विधायक समर्थक सोशल मीडिया पर अवैध खनन के पुराने वीडियो साझा करने के साथ तमाम टिप्पणी कर रहे हैं। विधायक विरोधी लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस की ओर से चुप्पी है। ब्यूरो

जिन क्षेत्रों में अवैध खनन से नदी की चौड़ाई दो किलोमीटर तक होने और 60 फीट तक गड्ढे होने की बात कही जा रही थी, वो जांच में पुष्ट नहीं हो सकी है। जिले से आई जांच रिपोर्ट में नदी का बहाव क्षेत्र कहीं भी 50 से 60 मीटर से अधिक चौड़ा नहीं पाया गया है। अवैध खनन पर जिले में हुई कार्रवाई का ब्योरा भी रिपोर्ट में है। **-राजपाल लेघा, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग**

जांच रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जनता सब कुछ जानती है। आपदा उनके क्षेत्र में नहीं बल्कि उत्तरकाशी में आई है। आपदा को लेकर संवेदना है। जिस क्षेत्र में आरोप लगाते हैं, वहां मौके पर सब कुछ है। जांच रिपोर्ट के लिए विभाग को उत्तराखंड के सबसे बड़े मंच पर सम्मानित करना चाहिए। **-अरविंद पांडेय विधायक गदरपुर**